

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-12/2016

संस्थित दिनांक-12.01.2016

फाईलिंग नं.-234503000122016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

धीरपाल मड़ावी पिता मोहपतसिंह, उम्र 40 साल जाति गोण्ड,
निवासी ग्राम रनवाही थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-27/04/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.11.2015 को 05.00 बजे थाना गढ़ी के अन्तर्गत ग्राम रनवाही में फरियादिया दुलमतबाई तेकाम के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया दुलमतबाई तेकाम जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा आहत सुन्दरसिंह के साथ हाथ-घुसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादिया दुलमतबाई ने दिनांक-13.11.2015 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक-12.11.2015 को उसका पति सुन्दरसिंह, धीरपाल के यहां दिन के करीब 10.00 बजे खर्चे के लिये रुपये मांगने गया था तो धीरपाल ने रुपये नहीं दिये। शाम को करीब 05.00 बजे धीरपाल शराब लेकर उसके घर आया और उससे दो गिलास मांगे तो उसने दो गिलास दे दिये। धीरपाल उसे शराब पीने के लिये कहने लगा और जब वह अन्दर कमरे में चली गई तो पीछे से धीरपाल भी आ गया और दरवाजा बंद करके उसे बुरी नियत से पकड़ कर उसके साथ खींचा तानी करने लगा जिससे उसके कपड़े फट गये। आरोपी ने उसे जमीन पर गिरा दिया जब वह चिल्लाई तो उसका पति वहां आ गया। धीरपाल ने उसके पति के साथ धक्का-मुक्की की। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-76/2015, धारा-452, 354ए भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत

का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत दुलमतबाई तेकाम एवं सुन्दरसिंह ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-12.11.2015 को 05.00 बजे थाना गढ़ी के अन्तर्गत ग्राम रनवाही में फरियादिया दुलमतबाई तेकाम के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया दुलमतबाई तेकाम जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5— फरियादिया/पीड़िता श्रीमती दुलमतबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके कथन से पिछले वर्ष दीपावली के समय की है। उसका आरोपी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गढ़ी में की थी जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसका अंगूठा निशानी हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। वह आरोपी से राजीनामा हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहती है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी दिनांक-12.11.2015 को उसके घर में उसके पीछे अन्दर घुस आया था और आरोपी ने दरवाजा बंद करके बुरी नियत से उसके पकड़ लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि घटना के समय उसके कपड़े फट गये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके पति के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 में यह बात बतायी थी कि आरोपी उसके घर के अन्दर घुस आया और उसके साथ लज्जा भंग करने के

आशय से आपराधिक बल को प्रयोग किया।

6— अभियोजन साक्षी सुन्दरसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी धीरपाल को जानता है जो उसके गांव में रहता है। घटना दिनांक-12.11.2015 को आरोपी से किसी बात को लेकर उसकी पत्नी का विवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसकी पत्नी ने थाने में दर्ज कराई थी। आरोपी से राजीनामा हो जाने के कारण कार्यवाही नहीं चाहती है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी दिनांक-12.11.2015 को उसके घर में उसकी पत्नी के पीछे अन्दर घुस गया था और उसने दरवाजा बंद करके बुरी नियत से उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसकी पत्नी के चिल्लाने पर वह घर पर आया था तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। साक्षी ने कहा है कि आरोपी से घर के बाहर विवाद हुआ था। साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 पुलिस को नहीं लेख कराया था।

7— प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की धाराओं में दोषमुक्त किया जा चुका है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354 शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में फरियादी दुलमतबाई (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी हमला करने की तैयारी के साथ उसके घर के अन्दर नहीं घुसा था और न ही लज्जा भंग करने के आशय से आरोपी ने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। इसी आशय का कथन अभियोजन साक्षी सुन्दरसिंह (अ.सा.2) ने भी अपने कथन में किया है। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 354 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। आरोपी को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट